


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>डी आर मेघवल बनाम</b>  <b>लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी)</b>  सू.अ.अपील संख्या 100/2024</p>	<p>न. व तारीख  अहकाम जो  इस हुक्म की  तामील में  जारी हुए</p>
<p>23-08-24</p>	<p>अपीलार्थी डी आर मेघवल निवासी गांव सरेचा, धुन्धाडा, तहसील लूणी, जोधपुर ग्रामीण ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 26/04/2024 में दिनांक 23.02.2024 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पुलिस थाना लूणी द्वारा की गई कार्यवाही की सम्पूर्ण पत्रावली से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   (गौरव अग्रवाल)  जिला कलक्टर, जोधपुर-ग्रामीण  <b>कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)</b> </p>	